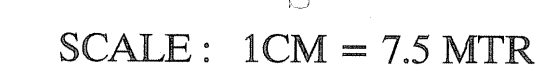


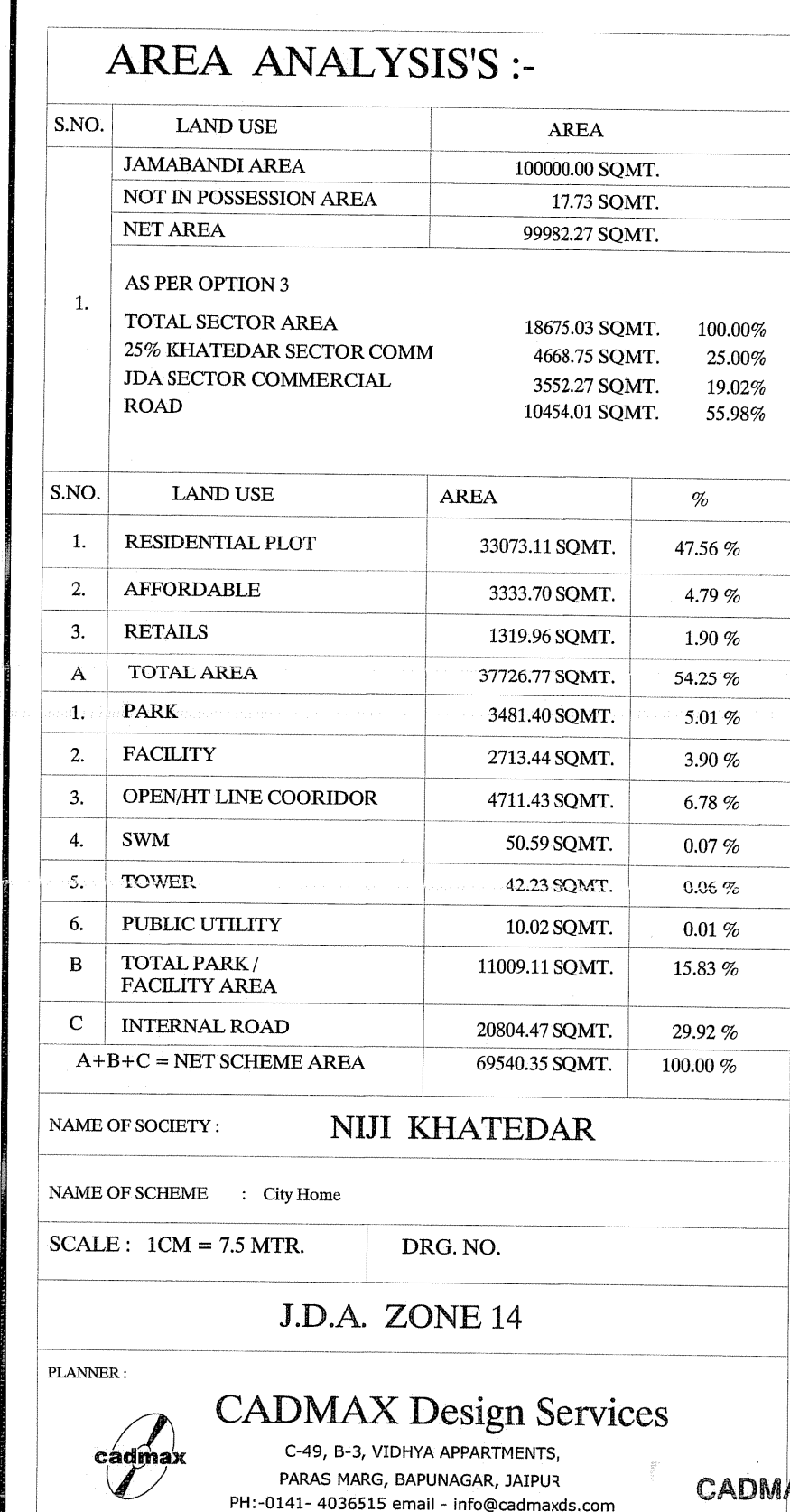
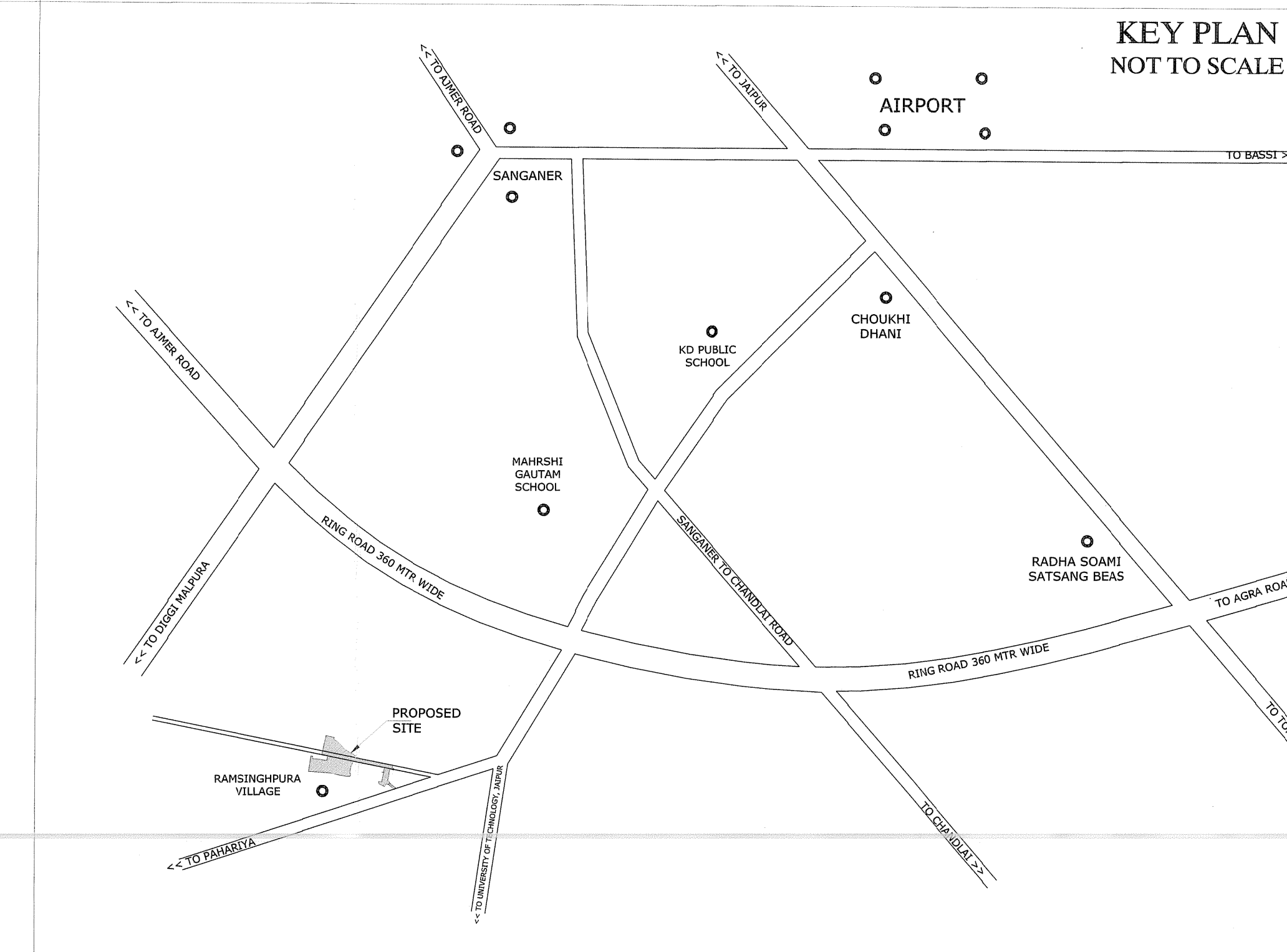
KHA. NO. ²⁶⁶⁹1828, 1810, ²⁷⁰⁹1811, ²⁷¹¹1806, ²⁶⁹⁴1805, ²⁷⁰¹1807, ²⁶⁹⁷1800, ²⁶⁹¹1800, ²⁷⁷⁴2660, ²⁷⁷¹2657, 1776 TO 1782, ²⁶⁹⁹1783, 1784, 1785, ¹⁷⁸⁶2340, 1789 TO 1794

VILLAGE- RAMSINGHPURA TEHSIL- SANGANER, JAIPUR



14.10.21

KEY PLAN
NOT TO SCALE



SECTOR COMMERCIAL PLOT DETAILS			Overall
Plot No.	Area		
S01	271.78	water	
S02	241.28		
S03	148.53		
S04	92.00		
S05	92.00		
S06	92.00		
S07	92.00		
S08	92.00		
S09	92.00		
S10	92.00		
S11	92.00		
S12	92.00		
S13	210.30		
S14	210.30		
S15	92.00		
S16	92.00		
S17	92.00		
S18	92.00		
S19	92.00		
S20	92.00		
S21	92.00		
S22	92.00		
S23	92.00		
S24	92.00		
S25	92.00		
S26	92.00		
S27	92.00		
Total Plot Area	4757.58		
Overall			
Plot No.	Area	empty brown surface	
S28	152.02		
S29	152.02		
S30	152.02		
S31	152.02		
S32	238.33		
S33	141.15		
S34	152.02		
S35	152.02		
S36	152.02		
S37	152.02		
S38	152.02		
S39	152.02		
S40	152.02		
S41	152.02		
S42	152.02		
S43	152.02		
S44	152.02		
S45	152.02		
S46	152.02		
S47	152.02		
S48	152.02		
S49	152.02		
S50	152.02		
Total Plot Area	3040.43		

NOTE - योजना ने प्लान हाइड्रोजन पॉवर के कोर की कोरीडोर को शामिल कर
करा। No CONSTRUCTION ZONE मानने कुछ स्थानों में यमन पर
उत्तम स्थान के बाहरी और बाइंड्री प्लानर चलाते हुए 40 -
CONSTRUCTION ZONE का भी समावेश शामिल करने की सुनिश्चिता
पान द्वारा की जायेगी।

नोट:-

1. राजस्थान ग्राम रामसिंहपुरा तह. सांगानेर के ख.नं. 2657/1775, 2660/1798, 2669/1828, 1782, 2691/1800, 2694/1806, 2697/2471, 2699/1783, 2701/1805, 1810, 2709/1811, 2711/2703, 1776 से 1780, 1781, 1784, 1785, 1786/2340, 1789, 1790 से 1794 कुल फिता 27 कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टर. भूमि की 90ए आदेश संख्या LU2012/JDA/2023-24/103289 दिनांक 29.05.2024 के द्वारा पूर्ण की गयी है।

योजना के उपरान्त जमिना के नाम जरिये नामान्तरण कराना नम्बर 2771/2657, 2774/2660, 2669/1828, 1782, 2691/1800, 2694/1836, 2697/2471, 2699/1783, 2701/1805, 1810, 2709/1811, 2711/2703, 1776 से 1780, 1781, 1784, 1785, 1766/2340, 1789, 1790 से 1794 कुल योजना 27 कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टर, भूमि जमिना के नाम देत हुये है।

2. योजना की भूमि में अनुसू. अन्विषय की धारा 90-ए की धाराओंकी प्रतिकृति अधिकारी रात एच नौक के पर प्रमाणिकरण लहसीद्वारा द्वारा किया गया है।

3. योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल डेवल्पमेन्ट प्लान प्लानिग जॉन-15 के अनुसार भू-उपयोग सू-2 एच.आई.जेड दखित है।

4. योजना सिटी होम का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 364वीं बैठक दिनांक 22.08.2024 में किया गया है।

5. योजना में फुटकर व्यावसायिक के प्रावधान नविध के आदेश दिनांक 20.02.2023 एच बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार देय होगे।

6. योजना मानचित्र टॉपोग्राफि पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किया जाने हेतु तैयार किया गया है।

7. प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर जमिना विनियम 2020 के अनुसार देय होया।

8. आन्तरिक विकास कार्यों की एचज में 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के लिए भू.सं. SC-1 to SC-12 कुल क्षेत्रफल 4762.52 वर्गमीटर रहन रखा गया है।

9. राहतन शाखा द्वारा मानचित्र पर खरस सपरधमोज किया है।

[illegible]

उपायुक्त जॉन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अरिष्ठ नगर नियोजक
वीथीसी (एलपी)

GUPTA
of Town Planner
PC (19)